

TRANSPORT DEPARTMENT

**NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2016**


In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with effect from 01.04.2016, makes the following amendments in this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/3H dated 01.03.2002, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In the said notification,-

- (i) in column number 3 against item (b) of clause (1) of serial number 2 of the table, for the existing expression "Rs. 20,000/- + Rs. 50 for every Rs. one lakh or part thereof of cost exceeding Rs. 10 lakh", the expression "Rs. 20,000/- + 0.15% of the cost of the horse exceeding Rupees ten lakhs" shall be substituted; and
- (ii) in column number 3 against item (d) of clause (2) of serial number 2 of the table, for the existing expression "8300/- + Rs. 50 for every Rs. one lakh or part thereof of cost exceeding Rs. 10 lakhs", the expression "Rs. 8300/-+0.15% of the cost of the vehicle exceeding Rupees ten lakhs" shall be substituted.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/3M]
By order of the Governor,


(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/3एच दिनांक 01.03.2002 में, इसके द्वारा दिनांक 01.04.2016 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) सारणी के क्रम संख्यांक 2 के खण्ड (1) की मद (ख) के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "20,000/- रु. + 10 लाख रु. से अधिक की लागत के प्रत्येक एक लाख रु. या उसके भाग के लिए 50 रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "20,000/- रु. + दस लाख रु. से अधिक की हार्स की लागत का 0.15 प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) सारणी के क्रम संख्यांक 2 के खण्ड (2) की मद (घ) के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "8,300/- रु. + 10 लाख रु. से अधिक के प्रत्येक लाख रु. या उसके भाग के लिए 50/- रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "8,300/- रु. + दस लाख रु. से अधिक के यान की लागत का 0.15 प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/3एम]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव